

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1501] No. 1501] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017 ज्येष्ठ 5, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ. 1696(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 मई, 2017 को उस तारीख़ के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के भाग 14 के उपबंध प्रवृत्त होंगे

[फा. सं. ए.-50050/9/2016-एडी1सी (सीईएसटीएटी) पीटी. I]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

S.O. 1696(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), the Central Government hereby appoints the 26th day of May, 2017 as the date on which the provisions of the PART XIV of Chapter VI of the said Act shall come into force.

[F. No. A.-50050/9/2016-Ad1C (CESTAT) Pt.I]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.